भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1685

उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

1685. श्री अरुण भारती:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जमुई जिले में नए 'आदर्श ग्राम' अनुमोदित/स्वीकृत किए हैं, यदि हां, तो प्रखंडवार स्थिति और समय-सीमा क्या है;

(ख) 1 जनवरी, 2026 तक जमुई शहर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के निर्माण की भौतिक और वित्तीय प्रगति क्या है;

(ग) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जमुई में सफाई से जुड़े पेशों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण जमुई में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में कोई खामी पाई गई है और उसके निवारण की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) क्या वित्त वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत जमुई के लिए कोई नई स्वीकृति प्रस्तावित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): जमुई जिले में, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के आदर्श ग्राम घटक के तहत 2025-26 के दौरान 68 गांवों का चयन किया गया है। हालांकि, चूंकि बिहार राज्य सरकार अभी तक आदर्श ग्राम घटक को लागू नहीं कर रही है, इसलिए वित्त वर्ष 2025-26के दौरान जमुई जिले के किसी भी गांव को आदर्श ग्राम के रूप में स्वीकृत/अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख): बिहार के जमुई जिले में कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए केन्द्रीय प्रायोजित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संचालन करता है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों से संबंधित बच्चों (घटक-I) और अस्वच्छ और खतरनाक व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावक के बच्चों (घटक-II) के लिए प्री-मैट्रिक स्तर पर साक्षरता और निर्बाध शिक्षा को बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। घटक-I के तहत अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में बिहार राज्य में चालू शैक्षिक वर्ष 2025-26 (05.02.2026 तक) के दौरान भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष के आधार पर जिला-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

शैक्षिक वर्ष	जारी किया गया केन्द्रीय हिस्सा (रुपये में)	लाभार्थी
2025-26	7,09,800	338

अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (घटक-II) बिहार राज्य सरकार द्वारा अभी कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(घ): प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पूरे भारत में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों के लिए खुली और मांग पर आधारित है। केन्द्रीय हिस्सा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके हिस्से के भुगतान संबंधी आंकड़ों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर रखे जाने के बाद जारी किया जाता है।

(ङ): वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत जमुई जिला, बिहार से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

*****